राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ 5(2) डीओपी/ए–II/91 जयपुर, दिनांक : 01–12–2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से या संबंधित संशोधनों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.–** राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,–

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, कम्प्यूटर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"आयुक्त" से आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. **नियम 11 का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 11 में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति, "सहायक प्रोग्रामर" हटायी जायेगी।

4. **नियम 18 का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"**18. परीक्षा का पाठ्य विवरण.–** एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण क्रमशः अनुसूची III, IV और V में यथाविनिर्दिष्टानुसार होगा।"

5. **नियम 29 का संशोधन :–** उक्त नियमों के नियम 29 में,–

(i) खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''संबंधित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) खण्ड (क) के उप–खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iv) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''संबंधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''संबंधित प्रशासनिक विभाग में प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(v) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अपर निदेशक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तकनीकी निदेशक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. **अनुसूची–I का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 से 4 को क्रम संख्यांक 2 से 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा ;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित विद्यमान क्रम संख्यांक 2 के पूर्व, निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

''

1	तकनीकी निदेशक	–	100 प्रतिशत	–	अपर निदेशक	स्तम्भ संख्या 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव और सेवा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष की सेवा या एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में 20 वर्ष की सेवा या सेवा के ऐसे सदस्यों ने, जो एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के रूप में सीधे चयनित हुए हैं, 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	

''

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''सिस्टम एनालिस्ट'' जहां कहीं भी आयी हो के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर'' जहां कहीं भी आयी हो के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) उपर्युक्त रूप में पुनःसंख्यांकित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''60% '' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''50% '' प्रतिस्थापित की जायेगी और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

(vi) उपर्युक्त रूप में पुनःसंख्यांकित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''40% '' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''50%'' प्रतिस्थापित की जायेगी और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

7. **अनुसूची–II का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II में,–

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''50%'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''–'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''50%'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''100%'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर अभिव्यक्ति ''-'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iv) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पोलीटेक्नीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र,

और

(ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा की गति।

8. **अनुसूची–III का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–III में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. **अनुसूची–V का हटाया जाना.–** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–V हटायी जायेगी।

10. **अनुसूची–VI का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–VI को अनुसूची–V के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा।

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

ह0

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group II)

No. F5(2)DOP/A-II/91 Jaipur, dated: 01.12.2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect or from the date specifically mentioned in concerned amendments.

2. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, herein after referred to as the said rules,-

(i) in clause (a), for the existing expression "Director, Computers", the expression "Commissioner, Information Technology and Communication" shall be substituted.

(ii) the existing clause (e) shall be substituted by the following, namely:-

"Commissioner" means the Commissioner, Information Technology and Communication, Government of Rajasthan;

3. Amendment of rule 11.- In rule 11 of the said rules,-

(i) for the existing expression "Analyst-Cum-Programmer", the expression "Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director)" shall be substituted; and

(ii) the existing expression ", Assistant Programmer" shall be deleted.

4. Substitution of rule 18. - The existing rule 18 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"**18. Syllabus for Examination. -** The syllabus for competitive examination for direct recruitment to the post of Analyst-Cum-

Programmer (Deputy Director), Programmer and Informatics Assistant shall be as specified in Schedule III, IV and V respectively."

5. Amendment of rule 29. - In rule 29 of the said rules,-

(i) in sub-clause (ii) of clause (a), for the existing expression "Secretary/Special Secretary to the Govt. in the Administrative Department concerned", the expression "Principal Secretary / Secretary / Special Secretary to the Government in the Administrative Department concerned" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (iv) of clause (a), for the existing expression "Deputy Secretary - Cum - Director Computers", the expression "Commissioner, Information Technology and Communication" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (i) of clause (b), for the existing expression "Dy. Secretary - Cum - Director Computers", the expression "Commissioner, Information Technology and Communication." shall be substituted; and

(iv) in sub-clause (iii) of clause (b), for the existing expression "One member nominated by the Secretary to the Government in the Administrative Department", the expression "One member nominated by the Principal Secretary / Secretary / Special Secretary to the Government in the Administrative Department concerned" shall be substituted.

(v) in sub-clause (iv) of clause (b), for the existing expression "Additional Director", the expression "Technical Director" shall be substituted.

6. Amendment of Schedule-I. - In Schedule-I appended to the said rules,-

(i) the existing serial number 1 to 4 shall be renumbered as serial number 2 to 5;

(ii) before the existing serial number 2, so renumbered, the following new serial number 1 and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

1.	Technical Director	-	100%	-	Additional Director	3 years' experience on the post mentioned in column number 6 and completed 25 years service as a member of the service or 20 years as a member of service on	

						the post of Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director) or higher for members of service who directly selected as Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director).	

"

(iii) for the existing expression "System Analyst" wherever occurring, the expression "System Analyst (Joint Director)" shall be substituted.

(iv) for the existing expression "Analyst-Cum-Programmer" wherever occurring, the expression "Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director)" shall be substituted.

(v) in column number 3 against serial number 5, renumbered as aforesaid, for the existing expression "60%", the expression "50%" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 01.04.2011; and

(vi) in column number 4 against serial number 5, renumbered as aforesaid, for the existing expression "40%", the expression "50%" shall be substituted and shall deemed to have been substituted with effect from 01.04.2011.

7. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the said rules,-

(i) in column number 3 against serial number 1, for the existing expression "50%", the expression "-" shall be substituted;

(ii) in column number 4 against serial number 1, for the existing expression "50%", the expression "100%" shall be substituted;

(iii) in column number 5 against the serial number 1, for the existing expression, the expression "-" shall be substituted.

(iv) the existing expression in column 5 against serial number 2, shall be substituted by the following, namely:-

"(i) Graduate or higher degree in Computer Science / Computer Engineering / Computer Applications / Computer Science & Engineering or Electronics or Electronics & Communication or Information Technology or equivalent of a University established by law in India.

OR

Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or 3 years Diploma in Computer Science & Engineering / Computer Applications / Information Technology or equivalent from a Polytechnic institution recognized by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science / Computer Applications / Information Technology or equivalent of a University established by law in India or of an Institution recognized by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with "O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under the control of Department of Electronics, Government of India.

OR

Graduate of a University established by law in India with Computer Operator & Programming Assistant (COPA) / Data preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National / State Council of Vocational Training Scheme,

and

(ii) Speed of 8000 key depression per hour on computer in Hindi & English."

8. Amendment of Schedule-III. - In Schedule-III appended to the said rules, for the existing expression "Analyst-Cum-Programmer", the expression "Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director)" shall be substituted.

9. Deletion of Schedule-V. - The existing Schedule-V appended to the said rules, shall be deleted.

10. Amendment of Schedule-VI. - The existing Schedule-VI appended to the said rules, shall be renumbered as Schedule-V.

By Order and in the name of the Governor

Sd/-

(Nalini Kathotia)

Deputy Secretary to the Government